क्रम-संख्या—543(क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 5 नवम्बर, 1977

कार्तिक 13, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3127/सत्रह-वि0-1—69-77

लखनऊ, 5 नवम्बर, 1977

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 पर दिनांक 2 नवम्बर, 1977 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1977

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1977]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 2, 1974 में नई धारा 167-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया]

"167-क—शंकाओं के परिवर्जन के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि धारा 167 के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में भी यथासम्भव लागू होंगे जो किसी कार्यपालक अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके किसी आदेश या निदेश से गिरफ्तार किया जाय।"

No. 3127(2)/XVII-V-1—69-77

Dated Lucknow, November 5, 1977

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Dand Prakariya Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1977 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1977), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on November 2, 1977 :—

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1977

[U. P. Act No. 18 of 1977]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to Uttar Pradesh

It is hereby enacted in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1977.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Insertion of new section 167-A in Act no. 2 of 1974.

2. *After* section 167 of the Code of Criminal Procedure, 1973, as amended in its application to Uttar Pradesh, the following section shall be *inserted*, namely :—

Procedure on arrest by Magistrate.

"167-A. For the avoidance of doubts, it is hereby declared that the provisions of section 167 shall, so far as may be, apply also in relation to any person arrested by, or under any order or direction of, a magistrate, whether executive or judicial."

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 183 सा० (विधा०)- 5-11-77--(2515)--1977--700 (मैके०)।